



वर्षों का अटूट विश्वास, आपका आवास विकास

मकर संक्रान्ति के पावन पर्व पर 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

लाया है अवध विहार योजना, लखनऊ में
सामान्य पंजीकरण-2025 के अन्तर्गत

आवासीय भूखण्डों को प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि दिनांक 13.01.2025 से 13.02.2025 तक

योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	मानक भूखण्ड का मूल्य (रु. लाख में)	पार्क फेसिंग एवं कारनर भूखण्ड का मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)		आवंटन/ विक्रय करार के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)		अवशेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में (रु. लाख में)	
					सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	मानक	पार्क फेसिंग
अवध विहार योजना लखनऊ	128 वर्गमीटर	72	54.91	63.11	2.75	1.38	24.71	26.08	0.53	0.69

आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखण्ड के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5% की छूट

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

UP RERA Collection Account No.	बैंक का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी का नाम, दूरभाष सं०
A/c No. : 50100294375004	HDFC Bank, CP-06, Vikrant Khand, Gombi Nagar, Faizabad Road, Lucknow	श्री आशीष पाण्डेय 9811619422

इं० पवन कुमार वर्मा
अधीक्षण अभियन्ता
अवध विहार वृत्त, लखनऊ
मो०-8795810127

श्री हिमांशु कुमार गुप्ता
उप आवास आयुक्त
लखनऊ जोन
मो०-8189081005

इं० सुनील कुमार
अधीशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लखनऊ-08
मो०-8795810346

श्री वृजेश कुमार
सम्पत्ति प्रबन्धक-सम्पत्ति प्रबन्ध
कार्यालय, अवध विहार योजना
मो० 8189081118



भूखण्ड की बुकिंग के लिए QR कोड स्कैन करें अथवा

वेबसाइट www.upavp.in
पर विजिट करें

नियम एवं शर्तें: 1. आवेदक भारत का नागरिक हो। 2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो। 3. ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For plots/houses/flats" पर क्लिक करेंगे। 4. शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। 5. प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरांत यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्रवाई की जाएगी। 6. आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किये जाएंगे। 7. किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 8. ऑनलाइन आवेदन तथा विस्तृत नियम व शर्तें देखने के लिए परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर Login करें।



30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <https://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.in



संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

UPHousingBoard www.upavp.in